

आदेश

निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आदेश संख्या 1621 दिनांक 02.07.2022 के द्वारा सुश्री दीक्षा सोनकर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01127) के संविदा नियोजन समाप्ति के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दायर अपील में तीन माह मानदेय कटौती एवं बर्खास्तगी की तिथि से योगदान की तिथि तक कोई भी मानदेय भुगतान नहीं करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए संविदा अनुबंध तत्काल प्रभाव से बहाल करने का संसूचन आदेश ज्ञाप संख्या 4643 दिनांक 16.12.2022 निर्गत है।

2. उक्त आदेश के आलोक में सुश्री सोनकर द्वारा इस कार्यालय में दिए गए योगदान को दिनांक 06.02.2023 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

3. योगदान स्वीकृति के फलस्वरूप R2R में शामिल करने का आदेश दिया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)विविध-08/2022...1338 पटना, दिनांक :- 07/02/2023
प्रतिलिपि :- सुश्री दीक्षा सोनकर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN01127), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)विविध-08/2022...1338 पटना, दिनांक :- 07/02/2023
प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)विविध-08/2022...1338 पटना, दिनांक :- 07/02/2023
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण